

**नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के स्वायत्त-का)  
आवेदा फसक**

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक \_\_\_\_\_ तारीख \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक  
 जिला \_\_\_\_\_ अनुमण्डल :- बाढ़, अंचल:- मोकामा का केंस का प्रकार \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ एवं वर्ष 2013-14

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आवेदा और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर ऑफिस कारवाई के सार तादिस तारीख
<p>03/6/13</p>	<p>श्री/श्रीमति <u>श्रीमती देवी</u>                      पिता/पति <u>पं. राजेश शर्मा</u> ग्राम <u>लाहरी</u>                      थाना <u>गारहिया</u> अंचल <u>मोकामा</u> जिला _____</p> <p>पटना ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/बख्शीरानामा/बंटवारा/विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः संबंधित पत्नीका सह कर्मचारी को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के दिवस पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>8/6/13</u> को उपस्थापित करें।</p> <p align="center"><b>जमीन का विवरण</b></p> <p>ग्राम/थाना नं० <u>धनकुशी 41</u> खाता नं० <u>612, 578, 584</u>  <u>590, 611, 629</u>                      खंसा <u>1961, 1962, 1963</u> रकबा <u>0.62</u>  <u>1964, 2082, 2083</u>                      लेखापति एवं सशोधित</p> <p align="right">अंचल अधिकारी  <u>राजेश शर्मा</u>                      हस्ताक्षर।</p>	<p>11/6/13</p>
<p>8/6/13</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से</p>	

6E000 - 41  
R T 12 S  
11927 10101

विदित होता है कि प्रतिवेदित जमीन विक्री पत्र / दानपत्र / बखशीशानामा बँटवारा / विनिमय / उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु क्रेता, विक्रेता एवं आम महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 13/6/13 को उपस्थापित करें।

लेखापति एवं संशोधित

अंचलाधिकारी

मोकामा

अंचल अधिकारी

मोकामा

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

13/6/13

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा

कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 13/6/13 को उपस्थापित करें।

लेखापति एवं संशोधित

अंचलाधिकारी  
मोकामा

अंचल अधिकारी  
मोकामा

18/6/13

हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व वसूली हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की स्वीकृत दी जाती है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति एवं संशोधित

अंचल अधिकारी  
मोकामा

अंचल अधिकारी  
मोकामा

18/6/13